

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 73 / 2022 गपप

1. बनाम पि० बी० सुधी सि० निवाले/जम-करोव

प्रार्थी.....

बनाम

1. विपक्षीयक जेरा पि० राजा/शा सुधी सि० निवाले/जम-करोव-करोव

विपक्षीयण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 8/6/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ~~...~~ पटवार हल्का ~~...~~ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या ~~...~~ आराजी नम्बर ~~...~~

1096 1097 1084 1086 1087 1093 1094 1095
0-1331/0-1331/ 0-714 0-432/0-354/0-085/0-223/0-085/

कुल किता 9 रकबा 5.1090

हेक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 8/6/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~...~~ पटवार हल्का ~~...~~ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या ~~...~~ आराजी नम्बर ~~...~~

1084 1086 1087 1093 1094 1095 1096 1097
0-714 0-432/0-354/0-085/0-223/0-085/0-1331/0-1331/

कुल किता 9 रकबा 5.1090

हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक ~~...~~ को 1400/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन करेडा भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन करेडा जिला भीलवाडा

2022/398

आ जा मौ पथ संल